प्रेषक,

अनिल कुमार खरवार,
विशेष न्यायाधीश(उ०प्र० द०प्र०क्षे०),
हमीरपुर।

सेवा में,

माननीय महानिबंधक,
माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद।

द्वारा,

माननीय जनपद न्यायाधीश,
हमीरपुर, उत्तर प्रदेश।

विषयः– पुरानी पेंशन योजना का लाभ प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

ससम्मान निवेदन है कि माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा पत्र संख्या 9691/IV–F–82/(Pension)/Admin. (A) Dated July 16, 2024 के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार के शासनादेश संख्या 14/2024/सा–3–243/दस–2024/301(1)/2024 वित्त(सामान्य) अनुभाग–3 लखनऊः दिनांक 28 जून, 2024 के अनुक्रम में उत्तर प्रदेश सरकार के ऐसे सभी कर्मचारी जो राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली/नई पेंशन योजना के अन्तर्गत आते हैं और राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या सा–3–379/दस–2005– 301(9)–2003 दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा जारी होने से पहले विज्ञापित पदों/रिक्तियों पर नियुक्त किए गए हैं, उन्हें राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली/नई पेंशन योजना के कार्यान्वयन से सम्बन्धित पुरानी पेंशन योजना से दिनांक 31.10.2024 की निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर उ०प्र० सेवानिवृत्ति लाभ नियमावली 1961 के तहत कवर करने की सुविधा दी गयी है तथा यह भी उल्लिखित किया गया है कि माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के नियंत्रण में कार्यरत सभी न्यायिक अधिकारी, जिन्हें उ०प्र० न्यायिक सेवा/यू.पी.एच.जे.एस. की अधिसूचना दिनांकित 28.03.2005 जारी होने से पहले विज्ञापित रिक्तियों के सापेक्ष नियुक्त/चयनित किया गया है, के लिए पुरानी पेंशन योजना का विकल्प चुनने हेतु शासनादेश संख्या–20/2024/सा–3–276/दस–2024/301(1)2024 वित्त(सामान्य) अनुभाग–3 लखनऊः दिनांक 11 जुलाई, 2024 जारी किया गया है।

श्रीमान जी को सादर अवगत कराना है कि अधोहस्ताक्षरी की नियुक्ति 15 नवम्बर, 2003 (विज्ञापन सं. ए–2/ई–1/2003)के माध्यम से उ०प्र० न्यायिक सेवा में सिविल जज(जू०डि०) के पद पर माननीय उच्च न्यायालय की विज्ञप्ति 1280/DR(S) 2006 दिनांकित 13.06.2006 के अनुक्रम में हुई थी। तत्पश्चात् अधोहस्ताक्षरी द्वारा उक्त पद पर दिनांक 16.06.2006 को कार्यभार ग्रहण किया गया है।

अतः श्रीमान जी से विनम्र निवेदन है कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जारी पत्र एवं उत्तर प्रदेश शासन के उपरोक्त शासनादेश के आलोक में प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न विकल्प के आधार पर अधोहस्ताक्षरी को पुरानी पेंशन योजना का लाभ प्रदान करने की कृपा करें।

दिनांक 02.08.2024 With Regards!

भवदीय,

(signature) 02/08/2024

(अनिल कुमार खरवार)
(I.D. No. UP 6500)
विशेष न्यायाधीश(उ०प्र० द०प्र०क्षे०),
हमीरपुर।

संलग्नक–1.शासनादेश संख्या 14/2024/सा–3–243/दस–2024/301(1)/2024 वित्त(सामान्य) अनुभाग–3 लखनऊः दिनांक 28 जून, 2024 की छायाप्रति।

2. शासनादेश संख्या–20/2024/सा–3–276/दस–2024/301(1)2024 वित्त(सामान्य) अनुभाग–3 लखनऊः दिनांक 11 जुलाई, 2024 की छायाप्रति।

3. उ०प्र० लोक सेवा आयोग द्वारा जारी विज्ञापन संख्या ए–2/ई–1/2003 दिनांकित 22–28 नवम्बर 2003 की छायाप्रति।

4.माननीय उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर उपलब्ध अधोहस्ताक्षरी की प्रोफाइल की छायाप्रति।

5.माननीय उच्च न्यायालय की विज्ञप्ति संख्या 1280/DR(S) 2006 दिनांकित 13.06.2006

6.विकल्प पत्र।

कार्यालय जनपद न्यायाधीश, हमीरपुर।

पत्रांक 1537/I-11-2024 हमीरपुर दिनांकित अगस्त 03, 2024

अग्रसारित

(signature) 03/8/24

जनपद न्यायाधीश,
हमीरपुर

District Judge
Hamirpur (U.P.)

शासनादेश संख्या–20/2024/सा–3–276/दस–2024/301(1)2024 दिनांक 11 जुलाई, 2024 का संलग्नक

विकल्प पत्र

1. नाम–	अनिल कुमार खरवार (Id No. UP6500)
2. पदनाम–	विशेष न्यायाधीश(उ०प्र० द०प्र०क्षे०) हमीरपुर।
3. वेतनमान–	163030 (J5– 144840–194660)
4. वर्तमान विभाग का नाम–	न्याय विभाग
5. राज्य सरकार के अधीन प्रथम नियुक्ति के पद पर भर्ती हेतु विज्ञप्ति जारी करने वाले विभाग का नाम–	कार्मिक एवं न्याय विभाग (नियुक्ति अनुभाग–4) उ०प्र० शासन, लखनऊ/उ०प्र० लोक सेवा आयोग।
6. विज्ञप्ति की तिथि–	15 नवम्बर, 2003 (विज्ञापन सं. ए–2/ई–1/2003)
7. विज्ञप्ति के सापेक्ष नियुक्ति तिथि–	26.05.2006(संख्या 2430/दो–4–06–32(1)/2001 टीसी–1)
8. विभाग में योगदान तिथि–	15.06.2006
9. जन्म तिथि–	01.10.1970
10. सेवानिवृत्ति की तिथि–	30.09.2030

मैं, अनिल कुमार खरवार पुत्र काशी नाथ शासनादेश संख्या–14/2024/सा–3–243/दस–2024/301(1)2024 दिनांक 28 जून, 2024 के अन्तर्गत पुरानी पेंशन योजना में सम्मिलित होने का विकल्प देता हूं। मेरे द्वारा दिया गया यह विकल्प अन्तिम समझा जाए।

हस्ताक्षर– A.K. Kharwar 02/08/2024
नाम–अनिल कुमार खरवार (Id No. UP6500)
पदनाम–विशेष न्यायाधीश(उ०प्र० द०प्र०क्षे०) हमीरपुर।

घोषणा पत्र

मैं, अनिल कुमार खरवार (Id No. UP6500) पदनाम–विशेष न्यायाधीश(उ०प्र० द०प्र०क्षे०) हमीरपुर यह घोषणा करता हूं कि उपरोक्त क्रम संख्या 01 ता 10 तक अंकित तथ्य मेरी जानकारी में सही है तथा मेरे द्वारा कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया है।

हस्ताक्षर– A.K. Kharwar 02/08/2024
नाम–अनिल कुमार खरवार (Id No. UP6500)
पदनाम–विशेष न्यायाधीश(उ०प्र० द०प्र०क्षे०) हमीरपुर।

सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष द्वारा भरा जायेगा।

श्री अनिल कुमार खरवार (Id No. UP6500)पदनाम–विशेष न्यायाधीश(उ०प्र० द०प्र०क्षे०) हमीरपुर को उपरोक्त तथ्यों के आधार पर पुरानी पेंशन योजना में सम्मिलित किये जाने हेतु इस विभाग की संस्तुति/सहमति प्रदान की जाती है।

03/8/24
कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष की संस्तुति
District Judge
Hamirpur (U.P.)

Reg. No. 529
File No. IV-7-82
Serial No. 24
15-7-24

संख्या-14/2024/सा-3-243/दस-2024/301(1)/2024

प्रेषक,

दीपक कुमार,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश ।
3. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश ।

वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक 28 जून, 2024

विषय- राष्ट्रीय पैंशन प्रणाली से आच्छादित राज्य सरकार के ऐसे सरकारी सेवक जिनका चयन ऐसे पद/रिक्तियों के सापेक्ष हुआ हो, जिसका विज्ञापन प्रदेश में नई परिभाषित अंशदान पैंशन योजना (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली) लागू किये जाने संबंधी राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 28 मार्च, 2005 के पूर्व हो चुका था, को राष्ट्रीय पैंशन प्रणाली के स्थान पर पुरानी पैंशन योजना से आच्छादित किये जाने के संबंध में विकल्प की व्यवस्था।

महोदय,

वित्त विभाग की अधिसूचना संख्या-सा-3-379/दस-2005-301(9)-2003 दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा यह प्रावधान किया गया है कि राज्य सरकार की सेवा में और ऐसे समस्त शासन के नियंत्रणाधीन स्वायत्तशासी संस्थाओं और शासन से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं, जिनमें राज्य कर्मचारियों की वर्तमान पेंशन योजना की भांति पेंशन योजना लागू है और उनका वित्त पोषण राज्य सरकार की समेकित निधि से किया जाता है, में दिनांक 1 अप्रैल, 2005 अथवा उसके पश्चात नवनियुक्त कर्मचारी नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली) से आच्छादित होंगे।

2/-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

A·R Acc (C-I)

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD
shasanadesh.up.gov.in
Scanned with CamScanner

2- ऐसे कर्मचारी जिनकी भर्ती/नियुक्ति के लिए विज्ञापन राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली की अधिसूचना की तारीख अर्थात दिनांक 28.03.2005 के पूर्व किया गया था और उक्त विज्ञापन के सापेक्ष नियुक्ति के उपरान्त दिनांक 01.04.2005 को अथवा उसके पश्चात् सेवा में कार्यभार ग्रहण करने पर राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अन्तर्गत कवर किया गया है, उनके द्वारा पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित करने हेतु अभ्यावेदन निरन्तर शासन को प्राप्त होते रहे हैं।

3- केन्द्र सरकार के कार्यालय ज्ञाप संख्या-57/05/2021-P&PW(B) दिनांक 03.03.2023 द्वारा यह आदेश निर्गत किये जा चुके हैं कि केन्द्र सरकार का ऐसा कोई कर्मचारी जिसकी नियुक्ति दिनांक 01.01.2004 को अथवा उसके उपरान्त, ऐसी किसी रिक्ति के सापेक्ष हुई है जिसका विज्ञापन केन्द्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली लागू किये जाने संबंधी अधिसूचना दिनांक 22.12.2003 के पूर्व हो चुका था, को पुरानी पेंशन योजना को चुनने का एक बार विकल्प दिया जायेगा।

4- इस संबंध में न्यायालयों के निर्णयों, केन्द्र सरकार के उपरोक्त कार्यालय ज्ञाप दिनांक 03.03.2023 और विभिन्न अभ्यावेदनों/संदर्भों के आलोक में राज्य सरकार द्वारा सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि उत्तर प्रदेश सरकार के कार्मिकों एवं परिषदीय विद्यालयों/शासन से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं/राज्य सरकार द्वारा अनुदानित स्वायत्तशासी संस्थाओं, जिनमें राज्य कर्मचारियों की पेंशन योजना की भांति पेंशन योजना लागू रही है और जिनका वित्त पोषण राज्य सरकार की समेकित निधि से किया जाता है, के ऐसे सभी कार्मिकों को उस पद या रिक्ति के सापेक्ष नियुक्त किया गया है, जिसे भर्ती/नियुक्ति के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली की अधिसूचना की तारीख अर्थात दिनांक 28.03.2005 के पूर्व विज्ञापित/अधिसूचित किया गया था और दिनांक 01.04.2005 को अथवा उसके पश्चात सेवा में कार्यभार ग्रहण करने पर राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अन्तर्गत कवर किया गया है, "उत्तर प्रदेश रिटायरमेन्ट बेनिफिट्स रूल्स, 1961" के अधीन कवर किए जाने के लिए एक बार विकल्प दिया जाए।

3/-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

Scanned with CamScanner

5- उक्त निर्णय के अनुपालन के संबंध में निम्नलिखित निर्देश निर्गत किये जाते हैं:-

(1). विकल्प प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 31.10.2024 होगी। प्रस्तुत किया गया विकल्प अंतिम तथा अपरिवर्तनीय होगा।

(2) उत्तर प्रदेश रिटायरमेन्ट बेनिफिट्स रूल्स, 1961 के अधीन कवर करने के मामले को, उस पद, जिसके लिए विकल्प का प्रयोग किया गया है, के प्रशासकीय विभाग के समक्ष विचारार्थ रखा जाएगा। यदि कर्मचारी, उत्तर प्रदेश रिटायरमेन्ट बेनिफिट्स रूल्स, 1961 के अधीन कवर किए जाने के लिए शर्तों को पूरा करता है, तो इस संबंध में प्रशासकीय विभाग के अनुमोदन के उपरान्त आवश्यक आदेश नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा दिनांक 31.03.2025 तक निर्गत कर दिये जायेंगे तथा आदेश निर्गत होने के अगले माह के वेतन से अभिदाता अंशदान तथा नियोक्ता अंशदान की कटौती बंद कर दी जायेगी।

(3). जिन कर्मचारियों द्वारा पुरानी पेंशन योजना का वरण किया जाता है, उनके राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली खाते दिनांक 30.06.2025 से बन्द कर दिये जायेंगे।

(4). राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अन्तर्गत खातों में जमा कर्मचारियों का अंशदान व्यक्ति के सामान्य भविष्य निधि (जीपीएफ) खाते में जमा किया जायेगा।

(5). राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अन्तर्गत खातों में जमा सरकारी अंशदान राजकोष में जमा किया जायेगा।

(6). ऐसे सभी कर्मचारी जो विकल्प का प्रयोग करने के लिए पात्र हैं, परन्तु निर्धारित तिथि तक इस विकल्प का प्रयोग नहीं करते हैं, वे राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली द्वारा कवर किए जाते रहेंगे।

6- पेंशन निधि में जमा धनराशियों के अंतरण से संबंधित लेखांकन की प्रक्रिया के संबंध में पृथक से आदेश निर्गत किये जायेंगे।

भवदीय,

दीपक कुमार
अपर मुख्य सचिव।

4/-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

Scanned with CamScanner

संख्या-सा-3-243(1)/दस-2024/301(1)/2024 एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1). महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

(2). निदेशक, पेंशन निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

(3). निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

(4). समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,

नील रतन कुमार

विशेष सचिव।

shasanadesh.up.gov.in

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

Scanned with CamScanner

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

संख्या-20/2024/सा-3-276/दस-2024/301(1)/2024

प्रेषक,

नील रतन कुमार,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश ।
3. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश ।

वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक 11 जुलाई, 2024

विषय- शासनादेश संख्या-14/2024/सा-3-243/दस-2024/301(1)/2024 दिनांक 28 जून, 2024 के क्रम में विकल्प किये जाने हेतु प्रारूप ।

महोदय,

शासनादेश संख्या-14/2024/सा-3-243/दस-2024/301(1)/2024 दिनांक 28 जून, 2024 द्वारा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से आच्छादित राज्य सरकार के ऐसे कार्मिकों, जिनका चयन ऐसे पद/रिक्तियों के सापेक्ष हुआ हो, जिसका विज्ञापन प्रदेश में नई परिभाषित अंशदान पेंशन योजना (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली) लागू किये जाने संबंधी राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 28 मार्च, 2005 के पूर्व हो चुका था, को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित किये जाने की व्यवस्था की गयी है।

2- संदर्भित शासनादेश दिनांक 28 जून, 2024 की व्यवस्था के क्रम में कार्मिकों को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना का विकल्प चुने जाने का प्रारूप इस शासनादेश के साथ संलग्न है।

S.O. Adm/A-I
11-07-2024 JR Admin Misc.

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

3- उक्त निर्धारित प्रारूप पर संबंधित कार्मिक अपना विकल्प सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।

संलग्नक: यथोक्त।

भवदीय,

नील रतन कुमार
विशेष सचिव।

संख्या-20/2024/सा-3-276(1)/दस-2024/301(1)/2024 एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1). महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

(2). निदेशक, पेंशन निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

(3). निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

(4). समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,

संजय
अनु सचिव।

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

लोक सेवा आयोग, उ०प्र०

उ॰प्र॰ न्यायिक सेवा सिविल जज (जूनियर डिवीजन) प्रारम्भिक परी

आवेदन पत्र प्राप्त किये जाने की अन्तिम तिथिः 19 दिसम्बर, 2003 **डाकघरों के माध्यम से आवेदन पत्र वित**

आवश्यक सूचना

यह विज्ञापन उ. प्र. लोक सेवा आयोग के वैबसाइट http://uppsc.nic.in पर भी उपलब्ध है।

2. इस परीक्षा मे ओ.एम.आर. आवेदन पत्र पद्धति लागू है। अभ्यर्थी आवेदन पत्र विज्ञापन मे अंकित सूची मे दिए गए डाकघरो से क्रय कर सकते हैं। जे.पी.जी. सिरीज के आवेदन पत्रो (सामान्य अभ्यर्थियो, उ.प्र. के अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियो तथा उ.प्र. के स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी के आश्रित अभ्यर्थियो हेतु) का मूल्य रू. 150/- तथा जे.पी.आर. सिरीज (उ.प्र. के अनुसूचित जाति/उ.प्र. के अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियो हेतु) का मूल्य रु. 90/- है। उ.प्र. के भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थी आवेदन पत्र अपनी मुख्य श्रेणी के अनुसार ही क्रय करेंगे।

3 अभ्यर्थी अपने ओ.एम.आर. आवेदन पत्र की फोटो स्टेट प्रति अपने पास अवश्य रखे तथा भविष्य के पत्राचार मे ओ.एम.आर. आवेदन पत्र के नम्बर का उल्लेख अवश्य करे।

उ.प्र. लोक सेवा आयोग, उ.प्र. न्यायिक सेवा सिविल जज (जूनियर डिवीजन) मुख्य परीक्षा (लिखित परीक्षा) मे प्रवेश हेतु उपयुक्त अभ्यर्थियो के चयन हेतु परिशिष्ट-1 मे उल्लिखित जिलो के विभिन्न परीक्षा केन्द्रो पर मार्च, 2004 मे एक प्रारम्भिक परीक्षा का आयोजन करेगे।

परीक्षा की तिथि तथा परीक्षा केन्द्रो का नाम अभ्यर्थियो को प्रवेश पत्र के माध्यम से सूचित किया जायेगा। परीक्षा केन्द्रो का आवटन आयोग द्वारा स्वविवेकानुसार किया जायेगा।

2. रिक्तियाँ :- रिक्तियो की कुल सख्या-347 है जिसमे उ.प्र. के अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियो के लिए 73, उ.प्र. के अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियो के लिए 07, उ.प्र. के अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियो के लिए 94 एव सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियो के लिए 173 रिक्तियाँ आवटित हैं। शासनादेश सख्या-18/1/95-का-2/1995 टी.सी.-1/97, दिनाक 20.9.97 मे दिए प्राविधानानुसार उ.प्र. के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियो के आश्रितो को दो प्रतिशत तथा उ.प्र. के भूतपूर्व सैनिको को एक प्रतिशत आरक्षण का लाभ प्रदान किया जायेगा। पद की प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुए उ.प्र. के समाज के विकलांगो को आरक्षण दिया जाना अनुमन्य नहीं है।

नोट :- (1) आरक्षण का लाभ चाहने वाले अभ्यर्थी सम्बन्धित आरक्षित श्रेणी/उपश्रेणी के समर्थन में इस विज्ञापन के परिशिष्ट-3 मे मुद्रित निर्धारित प्रारूप पर सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाणपत्र प्राप्त कर ले एव जब उनसे अपेक्षा की जाय तब वे उसे आयोग को प्रस्तुत करे। (2) आरक्षित श्रेणी के सभी अभ्यर्थी ओ.एम.आर. आवेदन पत्र में अपनी श्रेणी/उपश्रेणी अवश्य अंकित करे। (3) एक से अधिक आरक्षित श्रेणी का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को केवल एक छूट जो अधिक लाभकारी हो, दी जायेगी। (4) अनुसूचित जाति, अनु. जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, स्वतन्त्रता सग्राम सेनानी के आश्रित एवं भूतपूर्व सैनिक जो उ.प्र. राज्य के मूल निवासी नहीं हैं, उन्हे आरक्षण का लाभ अनुमन्य नही है। ऐसे अभ्यर्थी सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थी माने जायेंगे। (5) उ.प्र. न्यायिक सेवा नियमावली 2001 के नियम-8 के अन्तर्गत उ.प्र. की महिलाओ के लिए आरक्षित रिक्तियाँ : (1) विशेष अनुज्ञा याचिका स. - 15768/2001 मजुला सरकार बनाम हरेन्द्र बहादुर सिह, (2) विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या - 18822/2001 उ.प्र. राज्य बनाम हरेन्द्र बहादुर सिह, (3) विशेष अनुज्ञा याचिका सख्या - 628/2001 कु. शिवानी जायसवाल बनाम हरेन्द्र बहादुर सिह, (4) विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या-18824/2001 उ.प्र. राज्य बनाम हरेन्द्र बहादुर सिह एव (5) विशेष अनुज्ञा याचिका सख्या - 18/2001 कु. शिवानी जायसवाल बनाम हरेन्द्र बहादुर सिह मे मा. उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के अधीन

जाने चाहिए। इस तिथि के बाद प्राप्त आवेदन पत्र किसी भी दशा मे स्वीकार नहीं किए जायेगे। हाथो-हाथ आवेदन पत्र जमा करने पर काउन्टर से रसीद अवश्य प्राप्त करे।

8. डाकघरों की सूची :- आगरा (282 001), अलीगढ़ (202 122), इलाहाबाद एच.ओ. (211 001), इलाहाबाद कचहरी (211 002), इलाहाबाद कैंण्टरी लाइन्स (211 004), इलाहाबाद (दारागंज) 211 006, इलाहाबाद सिटी 211 003, अम्बेडकर नगर अकबरपुर-224 122, औरैया-200 122, आजमगढ़- 276 001, बदायूँ-243 601, बागपत-250 009, बहराइच-271 801, बलरामपुर-271 201, बलिया-277 001, बांदा-210 001, बाराबंकी - 225 001, बरेली-243 001, बस्ती (बासी)-272 161, बिजनौर-246 701, बुलंदशहर-203 001, चन्दौली-232 109, चित्रकूट (कर्वी)-201 205, देवरिया-274 001, एटा-207 005, इटावा-206 001, फैज़ाबाद-224 001, फर्रूखाबाद (फतेहगढ़)-209 625, फतेहपुर-212 601, फिरोजाबाद-283 203, गौतमबुद्धनगर (नोएडा)-201 301, गाजियाबाद-201 001, गाज़ीपुर-233 001, गोंडा-271 001, गोरखपुर-273 001, हमीरपुर-210 301, हरदोई-241 001, हाथरस-207 101, जालौन (उरई)-285 001, जौनपुर-222 001, झांसी-284 001, ज्योतिबाफुलेनगर-(अमरोहा) 272 127, कन्नौज-209725, कानपुर जी.पी.ओ.-208 004, कानपुर कैन्ट 208 001, कानपुर नवाबगंज, कौशाम्बी (मझनपुर)-212 207, कुशीनगर (पडरौना)-274 304, लखीमपुर खीरी-262 701, ललितपुर-284 403, लखनऊ जी.पी.ओ.-226 001, लखनऊ (चौक)-226 003, महराज़गज-221 010, महोबा-210 427, मैनपुरी-205 001, मथुरा-281 001, मऊ-275 101, मेरठ-250 001, मिर्जापुर-231 001, मुरादाबाद-244 001, मुजफ्फरनगर-251 001, पीलीभीत-262 001, प्रतापगढ़-230 001, रायबरेली-229 001, रामपुर-244 901, सहारनपुर-247 001, संतकबीर नगर (खलीलाबाद), सत रविदास नगर (भदोही), शाहजहाँपुर-242 001, श्रावस्ती (भिंगा), सिद्धार्थनगर (टिटरी बाज़ार), सीतापुर- 267 001, सोनभद्र (राबर्ट्सगंज), सुल्तानपुर-228 001, उन्नाव-209 801, वाराणसी एच.क्यू. - 221 001, वाराणसी कैन्ट-221 002।

9. महत्वपूर्ण निर्देश :-

(1) एक लिफाफे में एक से अधिक अभ्यर्थियो के आवेदन पत्र होने अथवा एक लिफाफे में एक से अधिक विज्ञापनों के आवेदन पत्र होने अथवा अभ्यर्थी द्वारा अपने ही नाम से एक से अधिक आवेदन पत्र जमा किए जाने पर सभी आवेदन पत्रों को अस्वीकृत कर दिया जायेगा। फैक्स द्वारा आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जायेंगे।

(2) किसी भी प्रकार से अपूर्ण एवं अहस्ताक्षरित आवेदन पत्र समयान्तर्गत होने के बावजूद भी सरसरी तौर पर अस्वीकृत कर दिए जायेंगे।

(3) आयोग सभी आवेदन पत्रो की प्राप्ति स्वीकार करेंगे। यदि आवेदन पत्र प्राप्ति की अन्तिमतिथि के 30 दिन बाद तक कोई सूचना न प्राप्त हो तो अभ्यर्थी को अनुस्मारक भेजना चाहिए। आयोग कार्यालय मे जमा किए जाने वाले आवेदन पत्रो की प्राप्ति रसीद प्रस्तुतिकरण के समय दी जाती है, प्राप्ति की रसीद अवश्य प्राप्त करे।

(4) आपात कमीशन प्राप्त/अल्पकालिक कमीशन प्राप्त अधिकारी जो सेना से अवमुक्त नहीं हुए हैं, किन्तु जिनकी सैन्य सेवा मे पुनर्वास के लिए वृद्धि की गई है, भी इस परीक्षा के लिए शासनादेश संख्या - 22/10/1976-का-2-85, दिनांक 30.1.85 के अनुसार निम्नलिखित शर्तों पर आवेदन कर सकते हैं :-

(ए) आवेदको को सेना, नौसेना, वायुसेना के सक्षम प्राधिकारी का इस सम्बन्ध मे प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उसकी सेवा अवधि पुनर्वास के लिए बढ़ाई गई है तथा उनके विरुद्ध कोई अनुशासनिक

(साक्षात्

(15) यदि अ
आयोग
सभी प
जन्मति
अवश्य

केन्द्रों के नाम :-

क्र.सं.	जनपद
1	आगरा
3	बरेली
5	झाँसी
7.	मेरठ

उ.प्र. न्यायिक सेवा

प्रश्न पत्र-प्रथम

इस प्रश्न पत्र
भारतीय राजनीति,
भारत और विश्व,
एवं प्रौद्योगिकी, संचा
हो सकते हैं।

इन प्रश्न-पत्रों
बिना किसी विशिष्ट

प्रश्न पत्र-द्वितीय

इस प्रश्न पत्र
प्रतिदिन की घटनाए,
(I) विधि शास्त्र
(II) अन्तर्राष्ट्रीय
(III) वर्तमान अन्त
(IV) भारतीय संवि
(V) सम्पत्ति अन्त
(VI) भारतीय साक्ष
(VII) भारतीय दण्ड
(VIII) सिविल प्रक्रि
(IX) आपराधिक
(X) संविदा विधि

उ.प्र

परीक्षा मे नि

प्रश्न पत्र संख

यह प्रश्न पत्र

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

A A- A A+

SRI ANIL KUMAR KHARWAR

Spl. Judge (U.P. Dacoity.A.A.)
Hamirpur

Id No:	UP6500
Father's/Husband's Name:	KASHI NATH
Date of Birth:	01-10-1970
Date of Retirement:	30-09-2030
Home District:	Ghazipur
Home State:	Uttar Pradesh
Date of Appt. in Judicial Service as Munsif/CJ(JD):	15-06-2006
Date of Promotion in CJ/CJ(SD):	15-10-2015
Date of Conf. on Munsif/CJ(JD):	11-09-2019
Date of Promotion to Class-I:	15-10-2015
Date of Joining in HJS under Rule 22(3) of UP HJS Rule 1975:	
Date of Joining in HJS under Rule 22(1) of UP HJS Rule 1975:	20-08-2019
Date of Conf. in HJS:	

Qualification Details

SL	DETAILS	DIVISION	YEAR
1.	High School	Second	1986
2.	Intermediate	Third	1988
3.	B.A.	Third	1995
4.	LL.B.	Second	1999

Training Details

SL	SUBJECT	INSTITUTE	FROM-TO
1.	Foundation/Induction Training	I.J.T.R., U.P. Lucknow	16-10-06 - 29-11-06
2.	Induction Training	I.J.T.R., U.P. Lucknow	02-07-07 - 16-08-07
3.	National Orientation Programme for Newly Appointed Civil Judges	National Judicial Academy, Bhopal	06-08-10 - 17-08-10
4.	Refresher Training (RTFC-1) under 13th Finance Commission Scheme.	I.J.T.R., U.P. Lucknow	21-02-11 - 02-03-11
5.	Refresher Training Programme for Civil Judges Junior Division	I.J.T.R., U.P. Lucknow	18-03-13 - 22-03-13
6.	Management Development Programme for Judicial Officers of Uttar Pradesh	IIPA, New Delhi	24-06-19 - 28-06-19
7.	Management Development Programme for Judicial Officers of Uttar Pradesh	IIPA, New Delhi	24-06-19 - 28-06-19

Posting Details

SL	DESIGNATION PLACE	FROM TO	REMARKS
1.	Addl. Civil Judge (Junior Div.) Pratapgarh	15-06-2006 09-01-2009	
2.	Civil Judge (Junior Div.) Kunda-Pratapgarh	09-01-2009 06-06-2009	J.M. (Economic Offences)
3.	Addl. Civil Judge (Junior Div.) Mirzapur	08-06-2009 16-04-2012	
4.	Civil Judge (Junior Div.) Saharanpur	18-04-2012 15-04-2015	

5.	Civil Judge (Junior Div.) Sonbhadra	18-04-2015 17-10-2015	
6.	Addl. Chief Judicial Magistrate Sonbhadra	17-10-2015 19-02-2016	
7.	Civil Judge (Senior Div.) Sonbhadra	19-02-2016 12-07-2016	Fast Track
8.	Addl. Chief Judicial Magistrate Sonbhadra	12-07-2016 23-03-2017	
9.	Civil Judge (Senior Div.) Sonbhadra	23-03-2017 08-05-2017	
10.	Addl. Civil Judge (Sr.Div.)/ACMM. Kanpur Nagar	10-05-2017 20-02-2018	
11.	Special C.J.M. Kanpur Nagar	20-02-2018 23-04-2018	
12.	Addl. Civil Judge (Sr.Div.)/ACMM. Kanpur Nagar	23-04-2018 01-08-2019	
13.	Special C.J.M. Kanpur Nagar	01-08-2019 05-08-2019	
14.	Civil Judge (Senior Div.) Kanpur Nagar	05-08-2019 21-08-2019	
15.	Addl. District & Sessions Judge Kanpur Nagar	21-08-2019 12-04-2021	
16.	Addl. District & Sessions Judge Basti	13-04-2021 04-07-2022	
17.	A.D.J. (FTC) Basti	04-07-2022 23-01-2023	
18.	Addl. District & Sessions Judge Basti	23-01-2023 03-08-2023	
19.	Spl. Judge (E.C. Act) Basti	03-08-2023 13-04-2024*	
20.	Spl. Judge (U.P. Dacoity.A.A.) Hamirpur	16-04-2024	

(* : The exact date on which charge taken/handed over is not known. This is the date of notification of transfer.)

(The above information is subject to verification by Services Section.)

No. 1276 /DR(S)/2006

Pursuant to U.P. Government Appointment/Notification No. 2430/II-4-06-32(1)/2001 T.C.-I dated 26.5.2006 Sri **Raju Prasad**, Candidate Civil Judge, Junior Division to be Civil Judge, Junior Division, Siddharth Nagar.

No. 1277 /DR(S)/2006

Pursuant to U.P. Government Appointment/Notification No. 2430/II-4-06-32(1)/2001 T.C.-I dated 26.5.2006 Sri **Sushil Kumar Kharwar**, Candidate Civil Judge, Junior Division is appointed U/s 11(2) of the code Criminal Procedure 1973 (Act No. 2 of 1974) as Judicial Magistrate, First Class, Siddharth Nagar vice Sri Prahalad Singh.

No. 1278 /DR(S)/2006

Sri **Prahalad Singh**, Judicial Magistrate, First Class, Siddharthnagar to be Additional Civil Judge, Junior Division, Siddharthnagar.

No. 1279 /DR(S)/2006

Pursuant to U.P. Government Appointment/Notification No. 2430/II-4-06-32(1)/2001 T.C.-I dated 26.5.2006 Sri **Ram Bilas Prasad**, Candidate Civil Judge, Junior Division to be Additional Civil Judge, Junior Division, Hardoi.

No. 1280 /DR(S)/2006

Pursuant to U.P. Government Appointment/Notification No. 2430/II-4-06-32(1)/2001 T.C.-I dated 26.5.2006 Sri **Anil Kumar Kharwar**, Candidate Civil Judge, Junior Division to be Additional Civil Judge, Junior Division, Pratapgarh.

BY ORDER OF THE COURT,

Sd/-
(SWATANTRA SINGH)
REGISTRAR GENERAL

No. 107 /DR (S)/2006: Allahabad: Dated: June 13, 2006.

Copy forwarded for information & necessary action to:

1. Pramukh Sachiv, Niyukti, U.P. Shasan, Lucknow.
2. Pramukh Sachiv, Nyay Evam Vidhiparamarshi, Uttar Pradesh Shasan, Lucknow.
3. The Executive Chairman, U.P. State Legal Services Authority, Third Floor, Jawahar Bhawan Annexe, Lucknow-226001.
4. The Director, Institute of Judicial Training & Research, U.P., Vineet Khand, Gomti Nagar, Lucknow requesting him to impart induction training to the newly appointed Civil Judge, Junior Division in three batches of 120 officers (1st Batch – Sl. No. 1 to 120, 2nd Batch- Sl. No. 121 to 240 and 3rd Batch- Sl. No. 241 to onwards (plus who could not participate in their allotted batch) in two phases of 45 days each as per existing practice. (Information available on E-mail).
5. The Additional Director, Treasury, Camp Office, First Floor, New Treasury Building, Kutchery Road, Allahabad.
6. The Registrar, High Court, Lucknow Bench, Lucknow with the request to place Notification before Hon'ble Judges, Sitting at Lucknow Bench, Lucknow. (Information available on Email).

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

NOTIFICATION

DATED: ALLAHABAD: June 13, 2006

No. 947 /DR(S)/2006

Pursuant to U.P. Government Appointment/Notification No. 2430/II-4-06-32(1)/2001 T.C.-I dated 26.5.2006 Sri **Vikas Goyal**, Candidate Civil Judge, Junior Division is appointed U/s 11(2) of the code Criminal Procedure 1973 (Act No. 2 of 1974) as Judicial Magistrate, First Class, Farrukhabad in the vacant court.

No. 948 /DR(S)/2006

Pursuant to U.P. Government Appointment/Notification No. 2430/II-4-06-32(1)/2001 T.C.-I dated 26.5.2006 Susri **Tanya Singh**, Candidate Civil Judge, Junior Division is appointed U/s 11(2) of the code Criminal Procedure 1973 (Act No. 2 of 1974) as Judicial Magistrate, First Class, Hardoi in the vacant court.

No. 949 /DR(S)/2006

Pursuant to U.P. Government Appointment/Notification No. 2430/II-4-06-32(1)/2001 T.C.-I dated 26.5.2006 Sri **Prashant Mittal**, Candidate Civil Judge, Junior Division is appointed U/s 11(2) of the code Criminal Procedure 1973 (Act No. 2 of 1974) as Judicial Magistrate, First Class, Meerut in the vacant court.

No. 950 /DR(S)/2006

Pursuant to U.P. Government Appointment/Notification No. 2430/II-4-06-32(1)/2001 T.C.-I dated 26.5.2006 Susri **Shelly Roy**, Candidate Civil Judge, Junior Division is appointed U/s 11(2) of the code Criminal Procedure 1973 (Act No. 2 of 1974) as Judicial Magistrate, First Class, Hathras in the vacant court.

No. 951 /DR(S)/2006

Sri **Bhoopendra Rai**, Additional Civil Judge, Junior Division, Allahabad is appointed U/s 11(2) of the code Criminal Procedure 1973 (Act No. 2 of 1974) as Judicial Magistrate, First Class, Allahabad in the vacant court.

No. 952 /DR(S)/2006

Pursuant to U.P. Government Appointment/Notification No. 2430/II-4-06-32(1)/2001 T.C.-I dated 26.5.2006 Sri **Sanjeev Kumar Singh**, Candidate Civil Judge, Junior Division is appointed U/s 11(2) of the code Criminal Procedure 1973 (Act No. 2 of 1974) as Judicial Magistrate, First Class, Allahabad in the vacant court.

No. 953 /DR(S)/2006

Pursuant to U.P. Government Appointment/Notification No. 2430/II-4-06-32(1)/2001 T.C.-I dated 26.5.2006 Sri **Kamlesh Kumar Pathak**, Candidate Civil Judge, Junior Division to be Additional Civil Judge, Junior Division, Allahabad.

No. 954 /DR(S)/2006

Pursuant to U.P. Government Appointment/Notification No. 2430/II-4-06-32(1)/2001 T.C.-I dated 26.5.2006 Sri **Hitendra Hari**, Candidate Civil Judge, Junior Division is appointed U/s 11(2) of the code Criminal Procedure 1973 (Act No. 2 of 1974) as Judicial Magistrate, First Class, Mau in vacant court.

उत्तर प्रदेश शासन
नियुक्ति अनुभाग-4
संख्या 2-43/का-4-06-3211/2001टी.सी.
लखनऊ दिनांक 29 मार्च, 2006

विज्ञप्ति/नियुक्ति

[illegible] सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद द्वारा [illegible] सेवा में सीधी भर्ती हेतु आयोजित [illegible] परीक्षा 2002 के आधार पर चयनित निम्नलिखित [illegible] वेतनमान रुपये 9000-250-10750-300-13150-350-14250 में [illegible] डिप्टी कलेक्टर के पद पर [illegible] एवं पुलिस [illegible] की शर्तों/प्रतिबन्धों के [illegible] नियुक्त [illegible] करते हैं। [illegible] परीक्षा [illegible] बाद में [illegible]

क्रम सं० अभ्यर्थी का नाम व पिता/पति का नाम	पता
1. विश्वनाथ गोयल, अलोक नाथ गोयल	मकान-315 [illegible] पठानकोट-140412 [illegible] पंजाब
2. [illegible] सिंह, [illegible] प्रसाद सिंह	डी-28 सेक्टर [illegible] लखनऊ-2260[illegible]
3. [illegible] त्रिपाठी, विनोद कुमार	ग्राम व पो० [illegible] [illegible]पुरी, [illegible] मुजफ्फरनगर
4. [illegible] राय, [illegible] कुमार राय	3बी/132 [illegible] [illegible]-201001
5. संजीव कुमार सिंह, डी० पी० सिंह	द्वारा [illegible] एम जी [illegible] इलाहाबाद
6. [illegible] कुमार पाठक, [illegible] पाठक	[illegible] मुरादाबाद-20[illegible]
7. [illegible] [illegible] प्रसाद गुप्ता	[illegible]-1078 [illegible] दिल्ली-110009
8. [illegible], डी० आर० [illegible]	21बी सी [illegible] [illegible] इलाहाबाद [illegible]
9. [illegible] सिंह, [illegible]	डी-2607/1 [illegible] नई दिल्ली-110053
10. [illegible], [illegible]	[illegible]-31, [illegible] [illegible]-243003
11. [illegible], [illegible]	39/36 [illegible] -208001

..2

विमल प्रकाश आर्य, सतिक राम — म० नं० 227 डी ... बहीनाथ जिला बरेली-243001

... प्रसाद, स्व० श्री टेक लाल — म० नं० -एम०आई०जी०-1/717 ... जानकीपुरम लखनऊ

श्रीमती रूचि सिंह, डा० विजय कुमार — द्वारा श्री तिलक सिंह 415 ... 16 आवास विकास कॉलोनी सिकन्दरा आगरा

... राम ... — 44 डा० भीमराव अम्बेडकर छात्रावास काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी-221005

सुनील कुमार, जगदीश प्रसाद — ग्रा० ... पो० सरदारनगर, चौरीचौरा, गोरखपुर

अरुण कुमार, सत्यपाल सिंह — ग्रा०/पो० छपार जिला मुजफ्फरनगर-251307

देवेन्द्र नाथ सिंह, रघुनाथ सिंह — सी-19-सी सेक्टर के अलीगंज लखनऊ

विकास वर्मा, चन्द्रिका प्रसाद वर्मा — कमरा नं० -121 डा० अमरनाथ झा छात्रावास इलाहाबाद विश्वविद्यालय इलाहाबाद

जितेन्द्र सिंह, धर्म सिंह — द्वारा एम० सी० गंगवार ए-310 ... लखनऊ-226016

राजू प्रसाद, राम प्रसाद — जी.एच.-24 कबीर कालोनी काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी-221005

सुशील कुमार खरवार, रामधारी राम — ग्रा० ...डीह पो० ... गाजीपुर-233303

रामविलास प्रसाद, गिरपतिराम — ... इल्ला चौक (लेटर प्रेस) उ०प्र० सचिवालय, लखनऊ

अखिल कुमार खरवार, काशीनाथ — 71 ...वीपुर (टी.टी.वी. नगर) इलाहाबाद-211016

2. उपरोक्त अभ्यर्थियों की तैनाती के आदेश ... से मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा निर्गत किये जायेंगे।

3. उक्त अभ्यर्थियों के कार्यभार ग्रहण ... से पूर्व अभ्यर्थियों के चरित्र-पूर्ववृत्त की ... निर्धारित प्रारूप पर शपथ-पत्र महानिबंधक, मा० ... न्यायालय द्वारा प्राप्त किया जायेगा।

(उमेश सिन्हा)
सचिव